न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 43/2017

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

श्री जुम्मा पुत्र श्री भूरा (मृतक) जरिये वारिसान :–
1. श्रीमती छोटू पत्नी श्री जुम्मा
2. श्री अनवर
3. श्री सरवर
   पुत्रगण श्री जुम्मा
4. सुगरा पुत्री श्री जुम्मा
5. ईस्माइल उर्फ नैना पुत्री श्री जुम्मा
6. लाली पुत्री श्री जुम्मा
7. गुलशन पुत्री श्री जुम्मा
8. अ.रज्जाक पुत्र श्री जुम्मा
   समस्त जाति लुहार निवासीगण ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

1. श्रीमती तीजणी पत्नी श्री जुम्मा
2. श्री काना
3. श्री शरीफ
   पुत्रगण श्री जुम्मा
4. जमीली पत्नी श्री कालू
5. श्री सद्दाम पुत्र श्री कालू
6. रूपी पुत्री श्री कालू
   समस्त जाति लुहार निवासीगण ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट्स*

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री के.भू. खान, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 17.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील पीसांगन जिला अजमेर के

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

राजस्व ग्राम गोविन्दगढ़ स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 360 में अंकित किता 3 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वांसी के रेकार्डेड खातेदार श्री जुम्मा पुत्र श्री नूरा जाति लुहार साकिन देह की मृत्यु पश्चात् मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 17.09.1998 को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा प्रमाणित सजरे के आधार पर तहसीलदार पीसांगन द्वारा मु0 तीजणी बेवा जुम्मा, काना पुत्र जुम्मा, शरीफ ना0बा0 पुत्र जुम्मा, बसरबराही तीजणी माता खुद, मु0 जमीली बेवा कालू, सद्दाम व रूपी ना0बा0 पुत्र बसरबराही मु0 जमीली बेवा कालू माता खुद साकिन देह के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 17.09.1998 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्टस ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट्स के पति/पिता श्री जुम्मा के पिता का नाम नूरा व दादा का नाम सुलेमान था, जिनकी अन्य आराजियात के साथ ग्राम गोविन्दगढ़ में खाता संख्या 318 चौसाला खसरा नम्बर 1022, 1045 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी, व 16 बीघा 5 बिस्वा, खाता संख्या नया 360 पुराना 355 वर्किंग खसरा नम्बर 1215, 1243, 1244 रकबा क्रमशः 4 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 10 बीघा 9 बिस्वा व 5 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 246 पुराना 262, आधार खसरा नम्बर 1229, 1255 व 1256 रकबा क्रमशः 0.77, 1.69 व 0.94 हैक्टर भूमि है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजी चौसाला जमाबन्दी में नूरा पुत्र सुलेमान साकिन देह खातेदार दर्ज था, नूरा पुत्र सुलेमान की मृत्यु पश्चात् मृतक की विरासत से नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के पति/पिता के नाम स्वीकृत हुआ। वर्किंग जमाबन्दी में जुम्मा पुत्र नूरा कौम लुहार दर्ज चला आ रहा था, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा एक अन्य व्यक्ति जुम्मा पुत्र नूरा जिसके दादा का नाम अलाद्दीन था, की मृत्यु हो जाने से उक्त खाते में अन्य जुम्मा के वारिसान के नाम जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम खोल दिया। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 का उक्त सम्पत्ति से कोई वास्ता था सरोकार नहीं था। अपीलाधीन नामान्तरकरण का इन्द्राज आधार जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया जबकि वरवक्त कार्यवाही उक्त खाते का मूल खातेदार जुम्मा पुत्र नूरा कौम लुहार जीवित था। अपीलान्ट्स के पति/पिता का एक अन्य आधार खाता संख्या 225 नया व 249 पुराना भी है जिसका इन्द्राज बदस्तूर अपीलान्ट्स के पति/पिता के नाम दर्ज है। वकील अपीलान्ट्स ने कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के पति, पिता, ससुर, दादा की अन्य कृषि आराजी चौसाला खसरा नम्बर 1104 व 1108 नूरा पुत्र अलादीन के नाम दर्ज है जिसका वर्किंग खसरा नम्बर 1325, 1331, 1332 पर जुम्मा पुत्र नूरा

Scanned by CamScanner

(मृतक) खातेदार दर्ज है जिसके आधार खसरा नम्बर 1664, 1665, 1669, 1670, 2829, 2830 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम मृतक जुम्मा पुत्र नूरा के विधिक वारिसान के नाम दर्ज है जो सही है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का नामान्तरकरण मृतक जुम्मा पुत्र नूरा के वारिस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम स्वीकृत कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार ने कथन किया कि जमाबंदी संवत् 2024–2027 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जुम्मा पुत्र नूरा अलग–अलग व्यक्ति है। अपील अपीलान्ट पुर्नविचार हेतु तहसीलदार पीसांगन को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जुम्मा पुत्र नूरा पौत्र अलादीन की मृत्यु पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के पति/पिता के नाम खाता संख्या 360 में अंकित भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम स्वीकृत कर दिया है जबकि उस समय अपीलान्ट्स के पति/पिता जीवित थे। तहसीलदार पीसांगन द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक/505 दिनांक 14.02.2014 से बाद जांच उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 17.09.1998 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार पीसांगन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर राजस्व रेकार्ड का गहन अवलोकन कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner